



**म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल**  
**मध्यप्रदेश शासन**  
**M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL**  
**Government of Madhya Pradesh**

क्र. 107 /फीस/ म.प्र.नि.वि.वि.आयोग /2019-2020  
प्रति,

दिनांक 17/11/2020

कुलसचिव,  
मंदसौर विश्वविद्यालय,  
भंवरलाल नाहटा स्मृति संस्थान,  
महू-नीमच रोड, मंदसौर, (म.प्र.)

विषय:- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2019-20 हेतु शुल्क की समीक्षा हेतु आदेश।

संदर्भ:-आपक पत्र क्र. MU/RO/2019-20/634 दिनांक 25/05/2019

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ङ) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा वर्ष 2019-20 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित तथ्यों/शर्तों के अध्यधीन की गई है। इस हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 02.12.19 एवं 24.12.19 में की गयी अनुशंसाएं आयोग की बैठक दिनांक 24.12.19 में अनुमोदित की गई, तदनुसार मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

(राशि रु. लाख में)

स. क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क	आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क		
			पाठ्यक्रम शुल्क	विकास शुल्क	योग
<b>Faculty of Business Management</b>					
1	BBA	0.450	0.383	0.068	0.450
2	MBA(Fin./Mar./Hr./Enterpreneurship/Business)	0.80	0.680	0.120	0.80
3	Ph.D.	0.700	0.595	0.105	0.700
<b>Faculty of Journalism &amp; Communication</b>					
4	BA Journalism/Mass Com.	0.550	0.468	0.083	0.550
5	Ph.D.	0.700	0.595	0.105	0.700
<b>Department of Fashion Design</b>					
6	BA (Fashion Design)	0.650	0.553	0.098	0.650
<b>Department of Tourism and Hospitality</b>					
7	BA (Tourism and Hospitality)	0.580	0.493	0.087	0.580

निरंतर-2

//2//  
 मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर  
 शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
 (राशि रु. लाख में)

Faculty of Commerce & Economics					
8	B.Com (Banking and Finance)	0.400	0.340	0.060	0.400
Faculty of Engineering & Technology					
9	Diploma Electrical	0.450	0.383	0.068	0.450
10	Diploma (Mech)	0.450	0.383	0.068	0.450
11	Diploma (Civil)	0.450	0.383	0.068	0.450
12	B. Tech (CSE)	0.750	0.638	0.113	0.750
13	B. Tech (EEE)	0.750	0.638	0.113	0.750
14	B. Tech (Mech)	0.750	0.638	0.113	0.750
15	B.Tech (Civil)	0.750	0.638	0.113	0.750
16	Ph.D.	0.900	0.765	0.135	0.900
Faculty of Education					
17	B.Ed	0.500	0.425	0.075	0.500
18	B.P.Ed	0.500	0.425	0.075	0.500
19	Ph.D.	0.700	0.595	0.105	0.700
Faculty of Pharmacy					
20	D. Pharm	0.550	0.468	0.083	0.550
21	B.Pharm	0.85	0.723	0.128	0.850
22	M.Pharm	0.75	0.638	0.113	0.750
23	Ph.D.	0.900	0.765	0.135	0.900
Faculty of Agriculture					
24	B.Sc. (Agriculture)	0.650	0.553	0.098	0.650
Faculty of Life Science					
25	B.Sc. Bio Tech	0.400	0.340	0.060	0.400
26	B.Sc. Microbiology	0.400	0.340	0.060	0.400
27	M.Sc. Microbiology	0.400	0.340	0.060	0.400
28	Ph.D.	0.800	0.680	0.120	0.800
Faculty of Computer Application					
29	BCA	0.400	0.340	0.060	0.400
30	BCA (CC)	0.600	0.510	0.090	0.600
31	MCA	0.650	0.553	0.098	0.650
32	PH.D.	0.800	0.680	0.120	0.800
Faculty of Library Science					
33	B.Library	0.300	0.255	0.045	0.300
34	M.Library	0.300	0.255	0.045	0.300
35	Ph.D.	0.70	0.595	0.105	0.700

// 3 //

मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर  
 शैक्षणिक सत्र 2019–20 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
 (राशि रु. लाख में)

Faculty of Aayurveda					
		2.150	1.828	0.323	2.150
36	BAMS				
37	Ph.D.	0.90	0.765	0.135	0.900

नोट – उपरोक्त शुल्क समीक्षा आपके एवं आपके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर की गई है।

- उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। विकास शुल्क की राशी का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित व्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- सत्र 2019–20 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये।  
 यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।

(चेयरमेन द्वारा अनुमोदित)

सचिव

०/८ म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,  
 भोपाल

पृ. क्रमांक १०८ /फीस /म.प्र.नि.वि.वि.आ /2019–2020

भोपाल, दिनांक ५/८/२०२०

प्रतिलिपि—

- कुलपति, मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
- गार्ड फाईल।

सचिव

०/८ म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,  
 भोपाल